मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 (फाल्गुन 21, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6061-एफ-आर.एस-6-2007-तेरह, दिनांक 19 सितम्बर, 2007 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007; तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम,1980 (क्रमांक 18 सन् 1980)की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(7) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2005-2006 का उनपचासवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक) पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, सदस्य, वन विभाग द्वारा वन ग्रामों के विकास हेतु सीमेंट क्रय एवं परिवहन के भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले की राजगढ़ एवं खिलचीपुर तहसील के ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-बैतूल से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवप्रसाद राठौर को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.........(क्रमशः)

निर्धारित समय			
	(1)	मांग संख्या - 12	ऊर्जा
		मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
		मांग संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा
		मांग संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी)
		मांग संख्या - 73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
		मांग संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण
2 घन्टे.	(3)	मांग संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या -46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
		मांग संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी
		मांग संख्या - 76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या - 23	जल संसाधन
		मांग संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयकट
		मांग संख्या -44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या - 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 मार्च, 2008